राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, पाली (राज.)

(कार्यालय आयुक्त, नगर परिषद् एवं सदस्य सचिव (IRGY-Urban), पाली, कार्यालय पता– लाल बहादुर शास्त्री टाउनहॉल, सूरजपोल के पास, पाली, पिनकोड–306401)
(कार्यालय नगर परिषद्, पाली टेली–फैक्स: 02932 221301, ई–मेल आई. डी. exenmcp@gmail.com , वेब–साईट : www.mcpali.com)

क्रमांक प.12( )विकास/IRGY-Urban/2022/ 7298 दिनांक 11/07/2022

संशोधित विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के अन्तर्गत इस कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति क्रमांक 1820 दिनांक 03/06/2022 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 1929 दिनांक 13/06/2022 के सन्दर्भ में श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर के पत्रांक 145–177 दिनांक 16/06/2022 के क्रम में जारी संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 1983 दिनांक 16/06/2022 अनुसार इस कार्यालय के द्वारा की जा रही संविदा कार्मिकों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेशों तक स्थगित की गयी थी, जिसे श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर के पत्रांक 287–1168 दिनांक 05/07/2022 अनुसार वित्त विभाग की आई. डी. संख्या 172200740 दिनांक 24/06/2022 द्वारा प्रदत्त सहमति/स्वीकृति के अनुसरण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के तहत् इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY - Urban) के अन्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 10 अनुसार प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY - Urban) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु IRGY-Urban प्रकोष्ठ गठित करने के क्रम में पाली जिले की समस्त 9 नगरीय निकायों (यथा– नगर परिषद्, पाली और नगर पालिका, सुमेरपुर / सोजत सिटी / जैतारण / बाली / तखतगढ़ / सादड़ी / खुडाला फालना / रानी खुर्द, जिला पाली) में (As Per Department of Personnel (A.Gr.-II), Government of Rajasthan`s Notification No. F.17(4)DOP/A-2/2014 Jaipur, dated : 11-01-2022) क्रमशः कनिष्ठ तकनीकी, सहायक, लेखा सहायक, M.I.S. मैनेजर और शहरी रोजगार सहायक, पदों के लिए संविदा पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित संशोधन करते हुए इस कार्यालय की ओर से जारी इस संशोधित विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है –

(1)– यह है कि चूँकि इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के अन्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 12/05/2022 एवं पत्र दिनांक 31/05/2022 में उल्लेखित वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता) पद को विलोपित किया जा चुका है। अतः पूर्व में इस कार्यालय में वरिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त सभी आवेदनों को निरस्त किया जाता है।

(2)– यह है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 32307 दिनांक 12/05/2022 द्वारा इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के लिये निम्नांकित स्वीकृत संविदा पदों हेतु संविदा कार्मिकों को देय मानदेय निम्नानुसार संशोधित किया जाता है –

क्र. सं.	संविदा कार्मिक का पदनाम	संशोधित मानदेय (प्रति माह) रूपये में
1	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	20,000
2	लेखा सहायक	12,000
3	M.I.S. मैनेजर	12,000
4	शहरी रोजगार सहायक	7,500

(3)– यह है कि उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त समस्त शर्तें, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 12/05/2022 एवं पत्र दिनांक 31/05/2022 के अनुसार यथावत् रहेंगी। उक्त पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथमतः दिनांक 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।

(4)– यह है कि उपरोक्त संशोधनों के अनुसार संविदा भर्त्ती हेतु यदि किसी आवेदक ने इस कार्यालय में क्रमशः कनिष्ठ तकनीकी, सहायक, लेखा सहायक, M.I.S. मैनेजर और शहरी रोजगार सहायक, संविदा पदों हेतु पूर्व में आवेदन कर दिया है, तो उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रेषित आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उन्हें इस कार्यालय में जानकारी करते हुए नवीन आवेदन करना आवश्यक है।

(5)– यह है कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय आवश्यक दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित प्रतियां आदि सहित इस संशोधित विज्ञप्ति के अन्तर्गत संविदा पदों पर आवेदन दिनांक 13/07/2022 को प्रातः 10 बजे से आमंत्रित करते हुए अन्तिम दिनांक 28/07/2022 को सांय 6 बजे तक बढ़ाई जाकर कार्यालय नगर परिषद् पाली में व्यक्तिशः / डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते है अथवा इस कार्यालय की ई–मेल आई. डी. exenmcp@gmail.com पर भिजवा सकते है। डाक / ई–मेल से भिजवाते समय अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि अभ्यर्थी के आवेदन की डाक / ई–मेल इस नियत अन्तिम तिथि व समय तक इस कार्यालय में पहुंच जावें। इस अन्तिम तिथि 28/07/2022 को सांय 6 बजे के पश्चात् व्यक्तिशः / डाक / ई–मेल से प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

(6)— यह है कि इस कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की जांच वर्तमान में नहीं की गई है, जांच के उपरान्त ही पात्रता का निर्णय लिया जायेगा।

इस संशोधित विज्ञप्ति से सम्बन्धित आवेदन / अन्य सूचना / निर्देश आदि की जानकारी नगर परिषद् पाली की वेबसाईट https://urban.rajasthan.gov.in/ulbpali या कार्यालय नगर परिषद् पाली में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (विकास शाखा) से कार्यालय दिवस को कार्य समय में सम्पर्क करते हुए प्राप्त कर सकते है।

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक
(IRGY Urban) महोदय की आज्ञा से,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, पाली
(जिला कलक्टर, पाली प्रतिनिधि ~~— अध्यक्ष, चयन~~ समिति)

क्रमांक प.12( )विकास/IRGY-Urban/2022/2299-2350 दिनांक 11/07/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय / निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
2. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर / उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक महोदय (इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना), पाली।
4. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली—(जिला कलक्टर, पाली प्रतिनिधि—अध्यक्ष, चयन समिति)।
5. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / सचिव, नगर सुधार न्यास / प्रभारी अधिकारी (सामान्य शाखा), कलेक्ट्रेट, पाली।
6. श्रीमान् उप वन संरक्षक एवं सदस्य (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना), पाली।
7. श्रीमान् मुख्य अभियंता (सिविल) / वित्तीय सलाहकर / परियोजना निदेशक / संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क) / एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता, नगर निगम, जोधपुर — उत्तर / दक्षिण ।
9. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सदस्य (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना), पाली।
10. श्रीमान् कोषाधिकारी, पाली / उप विधि परामर्शी, कलेक्ट्रेट, पाली।
11. माननीया सभापति महोदया, नगर परिषद् पाली।
12. माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका, सुमरेपर / सोजत सिटी / जैतारण / बाली / तखतगढ़ / सादड़ी / खुडाला—फालना / रानी खुर्द, जिला पाली।
13. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सुमरेपर / सोजत सिटी / जैतारण / बाली / तखतगढ़ / सादड़ी / खुडाला—फालना / रानी खुर्द, जिला पाली।
14. अधिशाषी अभियंता (सिविल), नगर परिषद् एवं सदस्य (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना), पाली।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर परिषद् एवं सदस्य (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना), पाली।
16. निजी सहायक, आयुक्त, नगर परिषद् एवं सदस्य सचिव (इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गांरटी योजना), पाली।
17. सहायक प्रशासनिक अधिकारी / विज्ञापन शाखा, नगर परिषद्, पाली।
18. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति की सूचना को क्रमशः (1) राज्य स्तरीय संस्करण के दो समाचार पत्रों में, (2) राजस्थान पत्रिका, पाली संस्करण के समाचार—पत्र में (3) दैनिक भास्कर, पाली संस्करण के समाचार—पत्र में स्वीकृत डी.पी.आर. / डी.ए.वी.पी. दर पर न्यूनतम साईज में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें, जिसमें प्रकाशित विज्ञप्ति की सूचना के समस्त समाचार—पत्रों मय विपत्र (दो प्रतियों में) नियमानुसार भुगतान सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें। साथ ही प्रकाशित विज्ञप्ति की सूचना के समस्त समाचार—पत्रों की सूचना इस कार्यालय की ई—मेल आई. डी. exenmcp@gmail.com पर भी भिजवाने का श्रम करावें।
19. नोटिस बोर्ड, नगर परिषद् कार्यालय / जिला कलेक्टर कार्यालय / उपखण्ड अधिकारी कार्यालय / जिला परिषद् कार्यालय / नया बस स्टेण्ड / रेल्वे स्टेशन / पुराना बस स्टेण्ड / सर्राफा बाजार / रामलीला मैदान / .... / पाली पर चस्पा करते हुए सर्वसाधारण को वास्ते सूचनार्थ।

(बृजेश राय)
आयुक्त नगर परिषद् एवं
सदस्य सचिव (IRGY Urban), पाली

Scanned with CamScanner